

प्रेमक,

श्री अमोल गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र 2 सहाय केंद्र
प्रति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तलमज: दिनांक: 25 अक्टूबर, 1996

विषय:- टाटाकेम डी०एच० पी०एच० स्कूल टी०बी०एस० बराला बदायूं को सी०बी०
एच० नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुपातित प्रमाण पत्र दिये जाने के
संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि टाटाकेम डी०एच० पी०एच०
स्कूल टी०बी०एस० बराला बदायूं को सी०बी०एच० नई दिल्ली से सम्बन्धित
प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति
नहीं है :-

111. विद्ययालय की पर्यवेक्षित तोतायती का समय समय पर मवीनीकरण कराया
जायेगा ।
121. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक
सदस्य होगा ।
131. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए
निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
141. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैशिक
शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इन्डियन स्कूल
सर्विफिड इक्वाइविल नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा
परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा
राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
151. संस्था के वैशिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राबकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य मत्तों
से कम वेतनमान तथा अन्य मत्तें नहीं दिये जायेंगे ।
161. कर्मचारियों को सेवा नहीं बचायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त
आगतकीय उत्पत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की प्रामन्य

सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पर्यिकाओं में रखा जायेगा

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि निजी भूमि पर मानक के अनुसूच मकान का निर्माण कर संस्था द्वारा शासन को उपगत कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूठ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उपायवित्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(सुनील मांगनी)
संयुक्त सचिव ।

पुं० सं० 3773111/15-7-1996 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्वयं आवश्यक कार्यावाही हेतु
प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक बदायूं ।
- 4- निरीक्षक, जॉयल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, टाटाकेम डी० ए० सी० पर्यिक स्कूल डी० टी० ए० बबराहा बदायूं ।

आशा से,

Sunil

(सुनील मांगनी)
संयुक्त सचिव ।